न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 90/2010

1 भाऊदीन नारू पुत्र रमजान खॉ जाति नारू मुसलमान आयु 41 साल निवासी मौहल्ला कुरेशियान हकीमजी की दरगाह के पीछे वार्ड नम्बर 23 सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मु. बतूल बेवा इब्राहीम खॉ नारू
2 हुसैन बक्स पुत्र स्व. हबीब खॉ
3 इकबाल पुत्र स्व. हबीब खॉ
4 फजलूरहमान पुत्र स्व. हबीब खॉ
5 अनवर हुसैन पुत्र स्व. हबीब खॉ
6 मईनूदीन पुत्र स्व. नजीर खॉ
7 इस्लाम उर्फ इस्लामुदीन पुत्र स्व. नजीर खॉ
8 मुन्ना उर्फ शब्बीर पुत्र स्व. नजीर खॉ
9 फारूक पुत्र स्व. नजीर खॉ
10 जाकिर हुसैन पुत्र स्व. नजीर खॉ
11 मुनीर पुत्र रहीम खॉ
12 रमजान पुत्र रहीम खॉ
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण मोहल्ला कुरेशियान हकीमजी की दरगाह के पीछे सीकर। (प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 हाल आबाद राजस्थान लाइम डिपो दफतरी रोड़ मलाउ ईस्ट मुम्बई व प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 हाल आबाद प्लाट नम्बर 172 दरबार स्कूल की पीछे जालुपुरा जयपुर।)
13 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।
14 उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सीकर जरिए शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोतवाली रोड़ सीकर दिनांक 05.03.2020

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी महोदय, सीकर उनवानी भाऊदीन बनाम
मुं. बतूल आदि दिनांकित 16.07.2010
मुकदमा नम्बर 178/2006

उपस्थिति :

1. श्री अरूण कुमार गुप्ता, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महावीर प्रसाद जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट (अनुपस्थित)

—निर्णय—

दिनांकः— 03.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 178/2006 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2010 विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में दावा बाबत उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया गया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी ने खातेदारी उदघोषणा का दावा वसीयत के आधार पर पेश किया है। खातेदारी उदघोषणा का अधिकार रेवेन्यू न्यायालय को है तथा मातहत अदालत ने धारा 38 से 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन नही किया। कानूनन खातेदार द्वारा वसीयत की जाने पर कोई रोक नहीं है। वसीयतदार को वसीयत के आधार पर उद्घोषणा प्रस्तुत करने का अधिकार है। दावा रेवेन्यू न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर कोई रोक नहीं है। विचारण न्यायालय ने सिविल क्षेत्राधिकार मानने के पीछे कारण बताया है कि वसीयत मुस्लिम विधि के अनुसार है या नहीं उक्त विषय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। विचारण न्यायालय का उक्त निष्कर्ष कतई गलत व कानून के विपरित है। दावा खातेदारी उद्घोषणा का है जो वसीयत के आधार पर है तथा वसीयत मुस्लिम विधि के अनुसार है या नहीं इसका निर्धारण रेवेन्यू न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। वसीयत को चेलेंज इब्राहीम की वारिस उसकी पत्नी बतुल ही कर सकती है, किन्तु उसने आज तक वसीयत को चेलेंज नही किया है। इस कारण उसके अधिकार खत्म हो चुके है। किन्तु उक्त तथ्यों को विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में विचार तक नहीं किया। इस प्रकार विचारण न्यायालय का निर्णय कानून के विरूद्व होने से सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में धारा 39 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, आर.आर.डी. 1994 पेज 135, डी.एन.जे. 2020(1) पेज 217, आर.एल.डब्ल्यू 2010(2) पेज 1405, डी.एन. जे. 2002(1) पेज 83 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदारी उदघोषणा का दावा वसीयत के आधार पर पेश किया है। खातेदारी उदघोषणा का अधिकार रेवेन्यू न्यायालय को है तथा विचारण न्यायालय ने धारा 38 से 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विवेचन नही किया है। कानूनन खातेदार द्वारा वसीयत की जाने पर कोई रोक नहीं है। वसीयतदार को वसीयत के आधार पर उद्घोषणा प्रस्तुत करने का अधिकार है। दावा रेवेन्यू न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर कोई रोक नहीं है। दावा खातेदारी उद्घोषणा का है जो वसीयत के आधार पर है तथा वसीयत मुस्लिम विधि के अनुसार है या नहीं इसका निर्धारण रेवेन्यू न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। वसीयत को चेलेंज इब्राहीम की वारिस उसकी पत्नी बतुल ही कर सकती है, किन्तु उसने आज तक वसीयत को चेलेंज नही किया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में सम्पूर्ण विधिक बिन्दुओं पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय को विधि अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधि अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जयवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर